...................................नगर महिला संघ, ...…........ की उपविधियां

(बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम – 1996 (बिहार अधिनियम.2.1997) के अन्तर्गत निबंधित)

1. **नामः** यह **क्षेत्र स्तरीय समितियों (एरिया लेवल फेडरेशन, ALF)** का संघ **होगा जो** .... **नगर** महिला संघ .... के नाम से जाना जायेगा जिसका अंग्रेजी अनुवाद .... होगा।

2. **पता :** .... **नगर** महिला संघ .... का कार्यालय ....**.....................**, **वार्ड न. ....**पोस्ट ..........**..........**......., थाना.. **.....**.............., जिला ....**...........बिहार** में अवस्थित रहेगा।

3. **कार्यक्षेत्रः** .... **नगर** महिला संघ................................ का कार्यक्षेत्र .... **नगर** के .... **सभी वार्डों** तक सीमित होगा।

4. **उद्देश्यः** .... **नगर** महिला संघ, ... **नगर क्षेत्र के सभी क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के लिए एक ऐसा संघ होगा जो **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को एक स्वप्रबंधित और आत्म निर्भर संस्था के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर सहयोग एवं निर्देशन करेगा ताकि सहभागिता तथा भागीदारी के आधार पर **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के लिए सामाजिक पूँजी का निर्माण हो सके। सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं से **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को जोड़ते हुए **नगर** महिला संघ का मुख्य दायित्व संसाधनों का लामबंदी एवं जुड़ाव भी होगा ताकि सदस्यों का समन्वित सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मदद मिल सके।

5. कार्य एवं सेवाएँ :

1. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के सदस्यों के सर्वांगिन विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं को लागू करना एवं वित्तीय तथा तकनीकी परामर्श देना।
2. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के माध्यम से सदस्यों को अग्रिम और अन्य प्रकार के **ऋण** उपलब्ध कराना।
3. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के सदस्यों को बीमा और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे
4. में जानकारी देना एवं उसे उपलब्ध कराना। आय को बढ़ाने के लिए सभी तरह के आवश्यक सेवाओं को मुहैया कराना तथा विशेष रूप से जीवन की गुणवत्ता के सुधार हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को लागू करना।
5. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के सदस्यों और उसके नेताओं का क्षमता निर्माण करना।
6. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के लिए परियोजना तैयार करना और उसे लागू करना।
7. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के हित को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों, दाता संस्थाओं आदि के साथ सम्पर्क करना तथा उनसे सहायता प्राप्त करना।
8. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को वित्तीय सहायता के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाएँ जैसे : सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, रोजगार, मध निषेध इत्यादि कार्यक्रमों से जोड़ना ।
9. आवश्यकतानुसार **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को वस्तुओं का क्रय-विक्रय, भण्डारण, उनके गुणवत्ता का आकलन में सहयोग करना तथा सदस्यों के आय एवं बचत में **वृद्धि** के लिए आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों का उपयोग करना।
10. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के सदस्यों के लिए जीविकोपार्जन एवं खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करना। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं उनका अनुश्रवण करना।

11. **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के कार्यों की समीक्षा करना एवं परामर्श देना। अंकेक्षक का पैनल तैयार करना, नियुक्ति करना एवं **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) का अंकेक्षण करवाना।
12. अन्य कार्य, जो संकुल संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक एवं आवश्यक है, को संपादित करना।

6. सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता:

- **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को **नगर** महिला संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्न मापदंड होंगे –
- **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) जो **नगर** महिला संघ के कार्य क्षेत्र में हो।
- **नगर** महिला संघ द्वारा समय-समय पर निर्मित प्रशासन के उपनियमों एवं नियमों एवं आचार संहिता के प्रति निष्ठा रखता हो।
- जो **नगर** महिला संघ 100 प्रति शेयर के हिसाब से कम से कम पाँच शेयर खरीदने के लिए तैयार हो।

7. सदस्यता की समाप्ति :

निम्नांकित मामले में **नगर** महिला संघ की सदस्यता समाप्त हो जाएगी-

- यदि कोई **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) **नगर** महिला संघ से शेयर पूंजी वापस लेता हो।
- **नगर** महिला संघ के उद्देश्यों के **विरुद्ध** कार्य करता हो।
- **नगर** महिला संघ द्वारा बनाये गये नियमों का अनुपालन नहीं करता हो।
- बिना सूचना के दो आम सभाओं में अनुपस्थित रहा हो।

8. सामान्य निकाय का गठन:

नगर महिला संघ के सामान्य निकाय का गठन **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के प्रतिनिधि निकाय द्वारा निर्वाचित निदेशक मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा जिसमें प्रत्येक **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के निदेशक मंडल के 12 सदस्य शामिल होंगे।

9. सामान्य निकाय के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

सामान्य निकाय का निम्न कार्य का उत्तरदायित्व होगा–

- **नगर** महिला संघ के उपविधि का अनुमोदन एवं उसमें संशोधन करना।
- **नगर** महिला संघ की सदस्यता तथा इसके काम–काज की समीक्षा करना।
- प्रतिनिधि सामान्य निकाय का गठन करना एवं उसे विघटित करना।
- प्रतिनिधि निकाय के कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना एवं
- प्रतिनिधि निकाय के कार्यों की समीक्षा करना।
- संसाधनों का संग्रहण करना एवं उसके उपयोग की समीक्षा करना।
- वार्षिक योजना का निर्माण करना एवं बजट का अनुमोदन करना।
- वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा
- वार्षिक लेखा का अनुमोदन करना।
- अंकेक्षकों की नियुक्ति करना एवं उसे कार्य से विरमित करना।
- आधिक्य का वितरण अथवा घाटा का अभियोजन करना।
- अन्य संगठनों के सहयोग की समीक्षा करना।

10. वार्षिक आम सभा:

निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के पहले बुलाया जायेगा।

11. विशेष आम सभा :

निदेशक मंडल द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निदेशक मंडल के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व बुलायी जायेगी। इसमें सिर्फ निर्वाचन संबंधी कार्य ही होगा। इसमें गणपूर्ति नहीं होने पर वार्षिक आम सभा की तरह ही स्थगित की जायेगी।

12. सामान्य निकाय की आम सभा के लिए सूचना और कोरम:

निदेशक मंडल के निर्णय के उपरांत सचिव कम से कम 15 दिन पूर्व आम सभा बुलाने की सूचना देगा। सचिव सभी सदस्यों को सूचना हाथों-हाथ या पोस्ट से भेजेगा। विशेष परिस्थिति में आम सभा कम अवधि में भी बुलायी जा सकती है। आम निकाय की आम सभा का कोरम कुल सदस्यों के कम से कम 1/5 सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। यदि आम सभा में कोरम पूरा नहीं होता है तो सभा स्थगित कर दी जाएगी, किंतु 30 दिनों के अंदर आम सभा बुलाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के स्थगित आम सभा के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

13. प्रतिनिधि निकाय का गठन:

प्रतिनिधि निकाय का निर्माण आम निकाय में शामिल प्रत्येक **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के निदेशक मंडल द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा।

14. प्रतिनिधि निकाय का कार्य एवं उत्तरदायित्व:

प्रतिनिधि निकाय का निम्न कार्य एवं उत्तरदायित्व होगा-

- **नगर** महिला संघ के उपविधि का निर्माण करना।
- निदेशक मंडल का गठन करना एवं सदस्यों को कार्य विमुक्त करना।
- निदेशक मंडल के कार्यों एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
- उपसमिति के निर्माण में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को सुदृढ़ करना एवं उनका क्षमता विकास करना।
- निदेशक मंडल के कार्यो की समीक्षा करना।
- आम निकाय द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यों को सम्पादित करना।

15. प्रतिनिधि निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) :

प्रतिनिधि निकाय की बैठक की गणपूर्त्ति (कोरम) कुल सदस्यों के कम से कम आधे की संख्या से अधिक होगी।

16. निदेशक मंडल का गठन:

नगर महिला संघ के लिए प्रतिनिधि निकाय द्वारा निर्वाचित 12 सदस्यों का निदेशक मंडल होगा। निर्वाचित निदेशक मंडल द्वारा ही पदधारियों का निर्वाचन होगा। कार्यावधि के दौरान यदि त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य कारणों से निदेशक मंडल में रिक्तियाँ होती है तो रिक्त पदों को उपविधि के प्रावधान के अनुसार प्रतिनिधि निकाय द्वारा निर्वाचन के आधार पर भर लिया जाएगा एवं इसका अनुमोदन अगामी आम सभा में किया जाएगा।

17. निदेशक मंडल की कार्यावधि:

निदेशक मंडल की कार्यावधि 5 वर्षों की होगी परंतु प्रथम निदेशक मंडल की कार्यावधि 12 माह से अधिक की नहीं होगी। 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के पूर्व विशेष आम सभा के द्वारा नए निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा।

18. निदेशक मंडल का सदस्य बनने की अयोग्यता/अपात्रता:

सदस्य के रूप में वह किसी समय मताधिकार खो दिया हो, या उपविधि के प्रावधानानुसार सदस्य नहीं रह जाय अथवा सदस्य बने रहने का अधिकार खो दिया हो।

19. निदेशक मंडल की बैठक:

निदेशक मंडल की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह निदेशक मंडल की आकस्मिक बैठक बुला सकती है।

20. निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सूचना (नोटिस):

निदेशक मंडल की बैठक की तिथि, स्थान एवं समय निदेशक मंडल की प्रथम बैठक में ही तय कर लिया जायेगा। बैठक की सूचना सचिव द्वारा 7 दिन पूर्व भेज दी जायेगी। विशेष बैठक संक्षिप्त सूचना के आधार पर बुलायी जा सकती है।

21. निदेशक मंडल की बैठक के लिए गणपूर्त्ति (कोरम):

निदेशक मंडल की बैठक की गणपूर्त्ति कुल सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक होगी।

22. निदेशक मंडल का कार्य एवं उत्तरदायित्व:

निदेशक मंडल का निम्न कार्य एवं उत्तरदायित्व होगा –

- **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को चिह्नित करना एवं प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना, साथ ही प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करना।
- **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं उससे संबंधित परामर्श देना।
- सदस्यता पात्रता मानदंड के अनुसार सदस्यों की सदस्यता स्वीकार करना एवं उनकी सदस्यता को समाप्त करना।
- **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के कार्यों तथा कर्मचारियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करना।
- **नगर** महिला संघ के वित्तीय परिचालन संबंधी नीति, योजना एवं बजट का निर्माण करना एवं समीक्षा करना।
- **नगर** महिला संघ के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना।
- **नगर** महिला संघ के लिए कार्यालय प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन, कोष प्रबंधन के साथ-साथ अन्य विषयों एवं मुद्दों पर नीतियाँ तैयार करना।
- **नगर** महिला संघ के कार्मिक नीति के अनुसार पदधारियों को निर्वाचित करना तथा कार्मिकों को नियुक्त करना एवं उसे हटाना।
- विशिष्ट कार्य के लिए उपसमितियों का निर्माण करना तथा उसे पुनर्गठित करना।
- वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय विवरणी, वार्षिक योजना एवं बजट को सामान्य निकाय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
- अंकेक्षण एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे सामान्य निकाय से अनुमोदन करवाना।
-

23. पदाधारियों का चयन एवं चक्रीय बदलाव:

निदेशक मंडल की पहली बैठक में ही आम सहमति के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। प्रत्येक दो वर्ष के बाद निदेशक मंडल द्वारा एक तिहाई पदधारियों में परिवर्तन किया जाएगा।

24. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

- **नगर** महिला संघ के तमाम बैठकों की अध्यक्षता करना।
- **नगर** महिला संघ का अन्य मंचों/ संगठनों में प्रतिनिधित्व करना।
- **नगर** महिला संघ के बैंक खाता का संचालन करना।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उक्त बैठक की अध्यक्षता किसी अन्य वरीय सदस्य द्वारा किया जायेगा।

25. सचिव/ उपसचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

- **नगर** महिला संघ की तमाम बैठकों में शामिल होना तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों को लागू करना।
- **नगर** महिला संघ के कागजातों एवं संपत्तियों की देख-रेख करना।
- व्यवसाय और प्रशासन नियमावली के अनुसार **नगर** महिला संघ के कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके अधिकार, कार्य, उत्तरदायित्व और वेतन का निर्धारण करना।
- **नगर** महिला संघ के तमाम कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
- **नगर** महिला संघ की ओर से पत्रों पर दस्तखत करना और पत्राचार करना।
- **नगर** महिला संघ संघ के बैंक खाता का संचालन करना।

26. कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

- **नगर** महिला संघ की तमाम बैठकों में शामिल होना।
- निदेशक मंडल के नियंत्रण में कोष का प्रबंधन करना और **नगर** महिला संघ का लेखा दुरुस्त रखने की व्यवस्था करना।
- **नगर** महिला संघ की तमाम बैठकों में वित्तीय हिसाब-किताब पेश करना।

- **नगर** महिला संघ के बैंक खाता का संचालन करना।

27. सदस्यता शुल्क एवं शेयर पूँजी:

नगर महिला संघ में **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) की सदस्यता के लिए सदस्यता शुल्क **200/- (दो सौ रूपया)** होगा। **नगर** महिला संघ की अधिकृत शेयर पूँजी **100000/- (एक लाख रुपया)** होगा जो **100** प्रति शेयर के हिसाब से **1000** शेयरों में विभक्त होगा। प्रत्येक **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) कम से कम **5** शेयर खरीदेगा। कोई भी **क्षेत्र स्तरीय समितियों** (ALF) के उपविधि के नियमानुसार अपना हिस्सा पूँजी सदस्यता समाप्ति के बाद वापस ले सकता है।

28. वित्तीय स्रोत:

नगर महिला संघ का निम्न वित्तीय स्रोत होगा –

सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, दान, चंदा, शेयर पूँजी, बचत तथा सदस्यों द्वारा प्राप्त अन्य जमा।

सामान्य एवं विशेष प्रयोजनों के लिए सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, विकास अभिकरणों तथा गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं निवेश से प्राप्त आय।

29. अधिशेष का बँटवारा:

नगर महिला संघ वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल आय का अधिक से अधिक 15 प्रतिशत भाग ही अपने सदस्यों के बीच लाभांश के रूप में वितरण कर सकता है।

30. बैंक खाता का संचालन:

नगर महिला संघ संघ का कोई भी बैंक खाता **नगर** महिला संघ के नाम से ही खोला जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। खाता का संचालन **नगर** महिला संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

31. आरक्षण का प्रावधान:

प्रतिनिधि निकाय में 5 सीट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 5 सीट पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसी तरह निदेशक मंडल के कुल 12 सदस्यों में 2 सीट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 2 सीट पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। पदधारियों के चुनाव में कम से कम एक पद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

32. उपविधि में संशोधन:

सामान्य निकाय द्वारा मताधिकार प्राप्त उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा **नगर** महिला संघ की उपविधि में संशोधन किया जायेगा। परंतु प्रतिनिधि सामान्य निकाय के गठन एवं उसकी शक्तियों से संबंधित किसी उपबंध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

33. लेखांकन वर्ष:

..... **नगर** महिला संघ, ... का लेखांकन वर्ष गत वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से अगामी वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक का होगा।

34. विघटन की नीति:

..... **नगर** महिला संघ, ... का विघटन आम निकाय के सदस्यों द्वारा पारित दो-तिहाई बहुमत से होगा। इस उपविधि को .... **नगर** महिला संघ, ... के सदस्यों द्वारा दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न ..... में स्थल ..... पर श्रीमती ..... की अध्यक्षता में अनुमोदित किया जा चुका है।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

..... **नगर महिला संघ,** .....

प्रतिनिधि निकाय के सदस्यों की सूची

क्र.	प्रतिनिधि निकाय के सदस्यों का नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

पृष्ठ संख्या ..... से ..... पर उल्लिखित क्रमांक में सदस्यों के हस्ताक्षर की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रमाणित किया जाता है कि यह ..... **नगर** महिला संघ, ...के सदस्यों द्वारा आहुत बैठक में अंगीकृत उपविधि की सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

..... **नगर** महिला संघ, ...